

बलात्कार के दो

पेज एक का शेष

के बहुत से आरोप चर्चा में हैं। जानकार बताते हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीएमओ अथवा सिविल सर्जन लगने का रेट पांच लाख तक बताया जाता है। वह बात अलग है कि कोई ज्यादा वजनदार डॉक्टर बिना भारद्वाज के ही ऐसी तैनाती पा ले।

यह बात गले नहीं उतरती कि एक निजी सहायक ही सारा स्वास्थ्य विभाग चला रहा हो। स्वास्थ्य मंत्री विज इतने भोले व नासमझ तो नहीं हो सकते कि वे जानते ही न हों कि उनका निजी सहायक उनके मंत्रालय में क्या खेल खेल रहा है? यदि वे वाकई नासमझ नहीं हैं व सबकुछ उनकी जानकारी व रजामंदी में हो रहा है तो उगाही जाने वाली काली कमाई उन तक भी जरूर पहुंचती होगी। जाहिर है कि जिस मंत्रालय में इस तरह का खुला खेल फरूखाबादी खेला जा रहा हो तो अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में डॉक्टर भला क्यों काम करेंगे, क्यों नहीं हर खरीदारी में मोटी-मोटी संधमारी करेंगे, क्यों नहीं हर तरह की लूटमारी करके गरीब मरीजों का शोषण करेंगे?

किरण के भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैं निजी सहायक कृष्ण से

गतांक में बताया गया था कि एक टेकेदारी कर्मचारी के रूप में बीके अस्पताल में आई किरण किस प्रकार आज इस अस्पताल में छाई हुई है। जानकार बताते हैं कि उसकी शक्ति का एक बड़ा स्रोत स्वास्थ्य मंत्री विज का निजी सहायक कृष्ण भारद्वाज भी है।

अस्पताल स्टाफ के बीच में अक्सर किरण दावा करती है कि भारद्वाज साहब जब भी फरीदाबाद आते हैं तो वे उसी के घर पर रुकते हैं। देखने-सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इस स्तर का अधिकारी बड़े अफसरों की बजाय किरण का आतिथ्य को ज्यादा पसंद करता है। जाहिर है जिसका आतिथ्य भारद्वाज सरीखा अधिकारी स्वीकार करता हो तो अस्पताल में उसकी तूती तो बोलनी ही है, उसके खिलाफ चाहे कितने ही आरोप लगते रहें, जांच के नाटक चलते रहें, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

कर्मचारियों के बीच किरण यह भी कहती बताई गई है कि वीरेन्द्र सांगवान की मुलाकात भी उसी ने भारद्वाज से कराई थी। शायद इसी के बदले किरण व उसके दो साथियों (अमित व देवेन्द्र) को फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र गुड़गांव से वीरेन्द्र ने दिलवाये थे। कुल मिला कर देखा जाय तो इस अस्पताल में भ्रष्टाचारियों व हरामखोरों का एक पूरा मकड़जाल बिछा हुआ है। इसके लिये और कोई नहीं स्थानीय शासन-प्रशासन व राजनेता पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। यदि ये चाहें तो यह मकड़जाल पलक झपकते ही समाप्त हो सकता है।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मजदूर मोर्चा- खाता संख्या-

451102010004150

IFSC Code :

UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

paytm



Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460



Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें। अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

हाड़-कंपाऊ ठण्ड में लाखों लोग राशन कार्ड की लाइन में.....


पेज एक का शेष

व्यवसाय-विद्यार्थी, आयु 22 वर्ष, आयु -10,000 से 25,000; बाबूलाल पुत्र स्व धुकू राम, व्यवसाय- दुकानदार, आयु-45 वर्ष, आयु-1,50,000 से 2,50,000 तथा उर्मिला पत्नी बाबूलाल, व्यवसाय- गृहणी, आयु-41 वर्ष, आयु 25,000 से 50,000.

विद्यार्थियों अथवा गृहणियों की आय गणना किस आधार पर हुई? अगर ये 'सरकारी' लोग कभी किसी स्कूल- कॉलेज में कभी पढ़ने गए हैं, तो बताएं कि पढ़ते वक़्त, उन्होंने कितने पैसे कमाए और किस विधि से कमाए? उनके घरों में भी गृहणीयां होंगी। उनकी आय कितनी है? आय की रैंज इतनी विशाल है जैसे 25,000 से 50,000 या 1,50,000 से 2,50,000!! जहाँ आय, निश्चित रेखा 1,80,000 से ऊपर जाते ही, अचानक, व्यक्ति के गरीब से अमीर बन जाने का खतरा हो, और अमीर घोषित होते ही उसका राशन बंद हो जाने का जोखिम हो, वहाँ आय की इतनी रैंज का क्या मतलब है? प्रशासन के इन मठाधीशों ने कौन सी आय पकड़ी, जिसके आधार पर राशन कार्ड रद्द हुए? आय के इस निर्धारण का आधार क्या है? इन प्रशासनिक शेखचिह्नियों को ये जानने या समझने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? न्याय के नैसर्गिक नियम (law of natural justice) के अनुसार, कातिलों, बलात्कारियों को भी, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। देश के गरीब-मजलूमों को इस लायक भी क्यों नहीं समझा गया कि उनकी आय के अचानक कई गुना बढ़ जाने पर, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिले? भरी तोंदों वाले इन 'साहबों' को ऐसी शीत लहर में, अगर बाहर खुले में, दिन भर खड़ा रखा जाए तब शायद इनकी संवेदना जागे, अगर बची हो तो!!

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, आय सत्यापित करने वाले अधिकारियों ने, गुर्वत में सरकारी राशन के भरोसे, किसी तरह अपनी जिन्दगी की गाड़ी धकेल रहे, 28.93 लाख लोगों को, हाड़-कंपाऊ ठण्ड में, लाइन में लगा दिया है। कोई जिए या मरे, उन्हें क्या? बर्फीली ठण्ड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके बैठे, मनरेगा मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी पर दो जून रोटी का जुगाड़ करने वाले लोगों के मोबाइल पर अचानक दिल दहलाने वाले संदेश आने शुरू हो गए, 'आपकी वार्षिक आय 1,80,000/ से आगे निकल गई, आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है'। रजाई में बैठे-बैठे, अचानक गरीबी से उठकर अमीरी में पहुंचे लोग, चकरा गए, ये हादसा कैसे हुआ!! इनकम जांचने वाले शेखचिह्नियों ने, इन संदेशों को पढ़ने की भी ज़हमत नहीं उठाई। 'पंकज, पेशा-छात्र, आय 70,000 प्रति वर्ष!'; 'कुसुम, पेशा-गृहणी, आय-80,000/ प्रति वर्ष!!' कोई पढ़कर भले हार्ट अटैक से मर जाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है?? उनके और उनके आकाओं के तो पेट भरे हैं और दफ़्तर में हीटर चालू हैं।

हरियाणा सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नागरिकों को 3 तरह के राशन कार्ड जारी करता है। गरीबी रेखा (1,80,000/ रु) से ऊपर के नागरिकों के लिए, APL इस कार्ड का रंग पंक है और दूसरे राज्यों से विस्थापित होकर हरियाणा आए व्यक्ति भी इस कार्ड के हकदार हैं। उनके पत्रिक राज्य में यदि उन्हें गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड जारी हुआ है, और उन्हें वहाँ राशन कार्ड मिल रहा है तो 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत, उनकी पात्रता के अनुसार सस्ता राशन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस समूह के लोगों को सस्ता राशन कार्ड नहीं मिलेगा।



गरीबी रेखा से नीचे वाले नागरिकों के लिए, BPL- वह परिवार जिसकी वार्षिक आय 1,80,000/ से कम है, उसे पीले रंग का ये बीपीएल कार्ड जारी होता है और साल में 1 लाख से भी कम कमाने वाले, समाज के अत्यंत निर्धन समूह के लिए, लाल रंग का 'अन्त्योदय कार्ड' जारी होता है। इन कार्ड धारकों को, सस्ते गल्ले की आधिकारिक मासिक पात्रता इस तरह है- 2 रु प्रति किलो की दर से 5 किलो गेहूँ, 13.5 रु प्रति किलो की दर से 2 किलो चीनी, 13.63 प्रति लीटर की दर से 7 लीटर मिट्टी का तेल, 20 रु प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल। सरसों का तेल भी मिला करता था लेकिन जैसे ही उसका रेट 200/ प्रति किलो के पार पहुंचा, उसकी आपूर्ति बंद हो गई। इतने मंहगे तेल की गरीबों को क्या जरूरत!! ज़मीनी हकीकत ये है कि गेहूँ या चावल के आलावा कुछ भी नहीं मिलता।

राशन कार्ड महज़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। हमारे देश में ये, करोड़ों लोगों की श्वास नली है। इसके रद्द होने का मतलब है, छत्तीसगढ़ की वो बच्ची, जो भात-भात बुदबुदाते हुए मर गई, क्योंकि उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण, उस परिवार को राशन देने से मना कर दिया गया था। सारा देश वो हकीकत इसलिए जान पाया, क्योंकि एक साहसी पत्रकार उस तथ्य को देश के सामने लाया। 'विश्व गुरु' भारत में, जाने कितने मासूम, मजलूम, बाज़ार भाव से, अपने जीने लायक अन्न ना खरीद पाने की वजह से धीमी मौत मरते जा रहे हैं। केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री, संसद में ये स्वीकार कर ही चुकी हैं कि 2018 से 2020 के बीच, 3 सालों में, देश में करोड़ों 'फर्जी' राशन कार्ड रद्द हुए। उस दौरान, हरियाणा में कुल 3.91 लाख राशन कार्ड रद्द हुए।

मूल प्रश्न ये है कि देश में, अगर इतनी बड़ी तादाद में फर्जी राशन कार्ड बने, तो ये एक अत्यंत गंभीर घोटाला है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो 'माननीय' मंत्री जी को ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। हज़ारों की संख्या में उन अधिकारियों और उनके लगुए-भगुओं को जेलों में डाला जाना चाहिए था जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनाने का गोरखधंधा चलाया। जब मर्जी राशन कार्ड बना दिए, जब मर्जी रद्द कर दिए; ये बहुत अमानवीय, क्रूर मजाक है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार सब जानती है, अगर नहीं जानती तो जान ले, कि फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम रसूखदार लोग करते हैं। उनके बनाए कार्ड रद्द भी नहीं होते। रद्द तो गरीबों के ही कार्डों को होना पड़ता है। पिछले तीन सालों में भी यही हुआ और आज भी वही होगा।

मोदी सरकार की कुछ चारित्रिक विशिष्टताएं हैं, जिसे अब लोग समझते जा रहे हैं। ये सरकार, आज तक आई सरकारों में सबसे ज्यादा मजदूर-विरोधी और मजलूम-विरोधी है। दूसरी खासियत ये है कि इसके

काम करने का तरीका 'झांसेबाज़ी' वाला है। सारे मंत्री-संत्री घोषणावीर हैं। राज्य सरकारों, स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार का अनुकरण करती हैं। 'डबल इंजन' वाली तो हू-ब-हू करती हैं। ढोल-ढमाकों के साथ ऊँची-ऊँची घोषणाएँ करो, मीडिया द्वारा उसे एक 'ऐतिहासिक इवेंट' बनाओ और भूल जाओ!! बिना तथ्यों को जांचे-परखे, एकदम लहरीपने से, गरीबों की आय, कागज़ों में बढाओ। इससे, एक तो गरीब, गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा और दूसरे उनके राशन कार्ड रद्द हो जाएँगे। इस वक़्त की सबसे रसीली घोषणा, मोदी जी द्वारा, ये की गई है कि 81.6 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज देगी। सब जानते हैं कि ये झाँकी अगले लोकसभा चुनावों तक जमाई जाएगी। सरकार की असल मशा जानना कोई राकेट साइंस नहीं। उसकी नीयत है कि दुनियाभर में मोदी सरकार की गरीबपरस्ती का डंका बजे, देश के लोग 2024 के चुनावों में मुफ्त राशन की खुमारी में अपने सब दुःख दर्द भूलकर झूम जाएँ और फिर से उसी सरकार को चुनें, जो चंद कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए गरीब-गुरबा को बेरहमी से निचोड़ रही है और पल्ले से कुछ जाए भी ना। राशन कार्ड रद्द कर अनाज बचाओ और उसे खेरात के रूप में बांटो और तालियाँ समेटो!!

कोरोना महामारी में जब लोगों के सामने महामारी से भी ज्यादा भुखमरी से मरने की नौबत आ गई थी, तब अप्रैल 2020 में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। ये बात सब जानते हैं। वह योजना बंद हो गई, ये कितने लोगों को मालूम पड़ा? अब फिर, 81.6 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा हुई और पालतू मीडिया के गले का पट्टा खोल दिया गया। देशभर में कानफाड़ शोर मच गया और अखबारों में दरबारी पत्रकारों के, मोदी सरकार की दरियादिली के लम्बे-लम्बे लेख छप गए। दूसरी ओर, करोड़ों लोगों की आय अधिक बताकर, 1 जनवरी से उनका राशन बंद करने की चेतावनी जारी हुई। पालतू मीडिया में कहीं कोई आवाज़ सुनाई पड़ी? हिटलर के प्रोपेगंडा मंत्री, गोएबेल ने ऐसे ही नहीं कहा था, "मुझे कुछ दिन के लिए मीडिया सौंप दो और मैं पूरे देश को सुआरों के झुण्ड में बदल डालूँगा!!" आज के गोएबेल और आज का मीडिया उस वक़्त से कहीं अधिक काइया हैं।

जिन्हें कार्ड रद्द होने के नोटिस मिले हैं, उनमें से कितने लोग, अपनी दिहाड़ी गंवाकर, राशन कार्ड दुरुस्त कराने की अनंत लाइन में लगकर, अपने राशन कार्ड बचा पाएंगे और कितने हाय सी मारकर बैठ जाएँगे, किसे मालूम? हर ज़िले के लघु सचिवालयों पर हड़कंप मचा हुआ है। भीषण ठण्ड में दिनभर खड़े रहकर, बकसूर गरीब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अफ़रा-तफ़री मची हुई है। कई जगह, इन बेहाल लोगों के 'पेशेवर मददगार' प्रकट हो गए हैं, जो 'काम तो हो जाएगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा', कहकर लोगों को ठग रहे हैं। राशन कार्ड में अनुचित आमदनी दर्ज कराने वाले अफ़सरान और उनके आका असल कसूरवार हैं। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, इस पूरे के पूरे फरमान को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, कहीं किसी राशन कार्ड में वाकई ग़लती है तो उसे जरूर दुरुस्त किया जाना चाहिए।

गर राशन कार्ड वाकई फर्जी है, तो उसे रद्द किया जाए लेकिन उसे बनाने वाले कर्मचारी- अधिकारी को भी बरखास्त कर, गिरफ्तार किया जाए। गरीबों-मेहनतकशों को थोड़ी भी सम्मानपूर्ण जिन्दगी जीने की खाहिश है तो उन्हें संगठित हो संघर्ष करने के सिवा पर्याय नहीं।